कार्यालय, मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

एल.आई.सी बिल्डींग, चौथी व पॉचवी मंजिल, पंडरी, छत्तीसगढ़, रायपुर
दूरभाष–0771–4079201, फैक्स–4079206)

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

आदेश

कमांक (NS-593) / 815 दिनांक 07/08/24

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम (RBSK) के अंतर्गत राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों समस्त अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक/बालिकाओं तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 0 से 18 वर्ष के बालक/बालिकाओं का RBSK (चिरायु टीम) टीम के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हितग्राही बच्चों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :

क.	आयु वर्ग	स्कीनिंग की विधि/स्थल	स्कीनिंग की ज़िम्मेदारी	वर्ष में कितनी बार
1.	0 से 6 सप्ताह	मितानिन के गृह भेंट एवं भ्रमण कर, समुदाय आधारित स्कीनिंग/ए.एन.एम. द्वारा	• मितानिन, ए.एन.एम.	वर्ष भर
2.	06 सप्ताह से 06 वर्ष	आंगनबाड़ी केंद्र	RBSK टीम (चिरायु टीम)	वर्ष में 02 बार
3.	06 वर्ष से 18 वर्ष	शासकीय एवं अनुदान प्राप्त सभी शाला, आश्रम एवं छात्रावास	RBSK टीम (चिरायु टीम)	वर्ष में 01 बार

इस हेतु हर विकास खण्ड में दो दल गठित हैं। प्रत्येक दल में एक महिला व एक पुरूष आयुष चिकित्सक, एक फार्मसिस्ट एवं एक ए.एन.एम. होंगे। इस दल को ''RBSK चिरायु'' दल कहा जाएगा। इस दल का उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- हितग्राहियों में सामान्य बीमारियों का पता लगाकर उनका उपचार करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण कर चिन्हित 30 बीमारियों, विशेषतः जन्मजात विकृति, कुपोषण संबंधित बीमारियां, शिशु विकास संबंधी अवरोध एवं विकलांगता तथा इस आयु में होने वाली मुख्य बीमारियों हेतु जांच करना।
- सामान्य बीमारी जैसे कि बुखार, सिरदर्द, खांसी, उल्टी, दस्त, एनीमियां, आयरन/विटामिन की कमी, दंतरोग, दृष्टिदोष आदि की परीक्षण एवं उनका उपचार उपलब्ध करना।
- जांच उपरांत जिन्हें अधिक उपचारों की आवश्यकता है, उन्हें रिफर करना तथा आर.बी.एस.के. के अंतर्गत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति तथा कुपोषण के विरूद्ध जागरूकता निर्माण करना।
- कार्यकम के माध्यम से उपचार हेतु होने वाले पालकों के व्यय को कम करना।

<u>राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम का कियान्वयन :–</u>

राज्य स्तर पर कार्यकम के समुचित कियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
- सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- आयुक्त, आदिम जाति एवं कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
- आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
- संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर
- मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

- मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, छत्तीसगढ़ रायपुर
- संचालक, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर
- संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर – **सदस्य सचिव**
- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर
- संयुक्त संचालक, स्थापना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर, छ.ग.
- राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, छ.ग., रायपुर– **समन्वयक**

राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति के दायित्व :–

- सफल कियान्वयन हेतु अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित कर विभिन्न विभागीय इकाईयों को निर्देश जारी करना।
- राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रमों के कियान्वयन की वर्ष में 02 बार समीक्षा ।
- संबंधित विभागों द्वारा कार्यक्रम की निगरानी सुनिश्चित किया जाना।

जिला स्तरीय कियान्वयन समिति :–

- जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति – **अध्यक्ष**
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
- सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – **सचिव**
- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–चिकित्सालय,
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास,
- जिला शिक्षा अधिकारी
- जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

जिला स्तरीय समिति के दायित्व :

- कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करना।
- जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करना एवं त्रैमासिक बैठक करना।
- योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार करना।
- जिन छात्रों को स्क्रीनिंग पश्चात् रिफरल हेतु आवश्यक सुविधाओं को चिन्हित करना तथा ऐसे मामलों की समीक्षा करना तथा निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना।
- जो समिति के सदस्य है उन विभागीय अधिकारियों हेतु संबंधित विभाग द्वारा दिशानिर्देश पृथक से जारी किए गये है। उनका पालन सुनिश्चित कराना।

विकास खण्ड स्तरीय कियान्वयन समिति :

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत – **अध्यक्ष**
- खण्ड चिकित्सा अधिकारी – **सचिव**
- खण्ड शिक्षा अधिकारी
- विकास खण्ड परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
- आर.बी.एस.के. टीम के समस्त आयुष चिकित्सक
- विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

विकास खण्ड कियान्वयन समिति के कार्य एवं दायित्व :–

- विकास खण्ड कियान्वयन समिति द्वारा प्रतिमाह समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- संबंधित विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की समीक्षा करना ।
- मोबाईल मेडिकल टीम के भ्रमण कार्यक्रम का परीक्षण कर समय–सारणी अनुमोदित करना।
- जिन छात्रों को स्कीनिंग पश्चात् रिफरल हेतु आवश्यक सुविधाओं को चिन्हित करना तथा ऐसे मामलों की समीक्षा करना तथा निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना।
- समय–समय पर रिफरल किये गये मरीजों का ए.एन.एम. एवं मितानिनों के माध्यम से Follow-up कराना।

विभागीय अधिकारियों के दायित्व

1. खण्ड चिकित्सा अधिकारी :

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दल का अग्रिम वार्षिक एवं मासिक भ्रमण कार्यक्रम महिला बाल विकास एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से निर्धारित करना।
- ज़िला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अथवा जिला स्तरीय पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपचार सुनिष्चित कराना ।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम दल के अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यकम (ATP) विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदन पश्चात् विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा विकासखण्ड परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को 10 दिन पूर्व प्रेषित किया जावे।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम टीम के सदस्यों हेतु परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम के लिए आवष्यक उपकरण एवं दवाईयां पत्र क्रमांक/संचा. स्वा.से./2014/54, दिनांक 17/01/2014 के अनुसार उपलब्ध कराना।
- शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से विकासखण्ड स्तर पर समन्वय।
- विकासखण्ड में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या, शालाओं की संख्या तथा छात्रावास आदि को ध्यान में रखकर दोनो मोबाईल टीम हेतु क्षेत्र विभाजन करना।
- हर दल के लिए निर्धारित क्षेत्र अंतर्गत मासिक भ्रमण कार्यकम तैयार करना जिसमें संकुल व्यवस्था, परिवहन सुविधा, रूट आदि को ध्यान में रखकर रूट बनाया जाए।
- समय–समय पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम टीम के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करना।
- स्क्रीनिंग पश्चात् राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यकम के अंतर्गत निःशुल्क चश्मा वितरण व मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अंतगत लाभान्वित हो सकने वाले बच्चों का चिन्हांकन करना।
- जिस संकुल क्षेत्र में RBSK दल द्वारा स्क्रिीनिंग किया गया है उस क्षेत्र के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल ऑफिसर (Not Below MBBS) के माध्यम से माह के अंतिम सप्ताह में शिविर लगाकर, RBSK दल द्वारा रिफर किए बच्चों का डायग्नोसिस का प्रमाणन किया जाएगा।
- निदान पश्चात् आवश्यक्तानुसार प्राथमिक उपचार दिये जावेंगे तथा RBSK अंतर्गत चिन्हांकित बिमारियॉ होने की दषा में आवश्यकतानुसार संस्था को रिफर किया कराना ।
- सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयोजित शिविर के स्थान, तिथी व समय के संबंध में जानकारी RBSK दल द्वारा शाला से रिफर किए जाने वाले छात्रों को दी जावेगी। इस प्रकार के शिविर के आयोजन का दायित्व खण्ड चिकित्सा अधिकारी का होगा।
- B.E.O. एवं परियोजना अधिकारी (महिला बाल विकास) से समन्वय कर विद्यालय स्तर पर एक नोडल शिक्षक नामांकित किया जावेगा। WIFS कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हित नोडल शिक्षक को यथा संभव यह दायित्व दिया जाये।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिन द्वारा संभावित बच्चों विशेषकर जो अध्ययनरत नहीं है, को परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर प्रेरित कर उपस्थित कराया जाय।
- मितानीन समन्वयक के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी सभी संबंधित मितानिनों को दी जावे।
- RBSK दल के माध्यम से home based Screening (HBNC) हेतु 0 से 3 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति का दायित्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्थानीय मितानीन का होगा।
- मितानीन के द्वारा 0 से 6 सप्ताह के बच्चों का Screening सामुदायिक स्तर पर आयोजित किया जावेगा।
- घर प्रसव होने की दषा में मितानीन गृह भेंट किया जाकर नवजात शिशु का जन्मजात विकृति संबंधी बीमारी का पहचान किया जावेगा। इस हेतु मितानिनों को चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जावेगा।
- मितानिनों के प्रशिक्षण का दायित्व : राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र का होगा। जिसे खण्ड चिकित्सा अधिकारी के समन्वय से पूर्ण किया जावेगा।
- नोडल शिक्षक, विद्यालयों को देय समय एवं तिथि पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावेंगे।
- Online reporting के आधार पर कार्य की समीक्षा करना ।
- RBSK हेतु निर्धारित प्रपत्र में MIS प्रविष्टी सुनिश्चित करना ।

2. <u>विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक :</u>

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के भ्रमण हेतु परिवहन की व्यवस्था करना।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की HMIS में सुनिश्चित करना एवं Monitoring नियमित रिपोर्टिंग
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम हेतु Logistic की सुचारू रूप से उपलब्धता निर्धारित करना।
- टीम के Shedule अनुसार निर्धारित तिथि से स्कूल, आंगनबाड़ी तथा संबंधितों को अवगत कराना।
- शाला एवं आंगनबाड़ी से प्रमाणित दैनिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर RBSK टीम के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि के अनुसार मासिक वेतन पत्रक तैयार करेंगे।
- स्कूल/आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या तथा स्कूल के समय–सारणी अनुसार स्वास्थ्य टीम की भ्रमण तिथि निर्धरित की जावे। संभवतः प्रयास यह किया जावे कि जिस गांव में दल जा रहा है वहां संचालित आंगनबाड़ी एवं स्कूल का एक ही दिन में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।
- Online reporting हेतु PHC/CHC स्तर से दलों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना तथा प्रविष्टियां सुनिश्चित करना ।

<u>राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दल हेतु लक्ष्य/दायित्व :</u>

- नियुक्ति आदेश में दिये टी.ओ.आर. के साथ निम्न दिशानिर्देशों का पालन करें :
- दल हेतु कार्यक्रम निर्धारित करते समय विकासखण्ड में 0–6 वर्ष एवं 6–18 वर्ष में विद्यार्थी संस्था में दृष्टिगत रखते हुए एक वर्ष का भ्रमण कार्यक्रम तैयार करें ।
- प्रत्येक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दल द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 150 बच्चों का परीक्षण किया जावेगा। संभवतः प्रयास यह किया जाये कि जिस गांव में दल जा रहा है वहां संचालित आंगनबाड़ी एवं स्कूल का एक ही दिन में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दल माह में न्यूनतम 20 दिवस या उससे अधिक दिवस पर भ्रमण पर होंगे।

36

- माह में एक दल का अनुमानित लक्ष्य 3000 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का होगा। मासिक लक्ष्य से 150 की कमी होने पर दल के सभी सदस्यों का एक दिन का मानदेय के अनुपात में कटौती की जावेगी।
- विकासखण्ड के सभी बच्चों की संख्या अधिक होने की स्थिति में स्क्रीनिंग के लिए अतिरिक्त दल गठन कर प्राथमिकता के आधार पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना संभव होगा।
- विकासखण्ड के स्कूली छात्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में विकासखण्ड में पदस्थ दंत चिकित्सक की सहायता से स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य संपादन करने की कार्यवाही की जावे, इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में राज्य स्वास्थ्य मिशन कार्यालय को सूचित करेंगे ।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग की प्राथमिकता क्रमशः निम्नानुसार होगी – आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला एवं माध्यमिक शाला।
- स्कूल में छुट्टियों के दौरान टीम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में अपनी सेवाएं देंगे तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्वास्थ्य शिविर में भी इनकी सेवाएं ली जा सकती है।
- 0 से 6 माह के बच्चों का यथासंभव आंगनबाड़ी में स्क्रीनिंग होगा आवश्यक होने पर गृह भेंट कर परीक्षण किया जाना है।
- माह के केवल एक दिन समीक्षा बैठक आयोजित होगी।

शालेय स्तर पर कार्य

- विद्यार्थियों का पंजीयन, स्वास्थ्य पंजीकरण संधारण, एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा।
- मोबाईल हेल्थ टीम (आयुष मेडिकल ऑफिसर (पुरूष/महिला), फार्मासिस्ट, ए.एन.एम.) द्वारा सभी विद्यार्थियों का मेडिकल चैकअप करना एवं स्वास्थ्य पंजिका/ स्वास्थ्य कार्ड भरना।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा मोबाईल हेल्थ टीम (आयुष मेडिकल ऑफिसर (पुरूष/महिला), फार्मासिस्ट, ए.एन.एम.) द्वारा स्क्रीन किये गये विद्यार्थियों में पायी गई सामान्य बीमारियों का प्रथमिक उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध निःशुल्क दवाईयां देकर करना।
- गंभीर बीमारियों के लिए रिफर कार्ड भरना समुचित केन्द्र प्रेषित करना 0–1वर्ष आयु के रिफर बच्चों के लिए 102 सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- रिफरल कार्ड को चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से उपस्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र /जिला अस्पताल को भिजवाया जायेगा।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रिफर किए बच्चों हेतु आयोजित शिविर में उपस्थिति कराना।
- रिफरल कार्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चे की बीमारी को इंगित करते हुए भरा जावेगा तथा सूचनार्थ अभिभावक को भेजा जायेगा। अभिभावक बच्चे को लेकर पी.एस.सी./सी.एच.सी./जिला अस्पताल में संपर्क करेंगे तथा इन केन्द्रों में निःशुल्क उपचार प्राप्त करेंगे।
- कुपोषित गंभीर बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) संदर्भित किये जायेंगे।
- रिफरल प्रकरणों के स्वास्थ्य जांच पश्चात् विवरण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं B.M.O. को उपलब्ध कराना तथा इनके द्वारा ए.एन.एम., मितानीन एवं नोडल शिक्षक के माध्यम से Follow-up एवं मॉनिटरिंग किया जाएगा।
- विद्यार्थियों में प्रभारी अध्यापक द्वारा स्वास्थ्य कार्ड का संधारण किया जाना। जांच पंजिका/स्वास्थ्य पंजिका भरवायें जाने में सहयोग का दायित्व संस्था प्रधान का होगा।
- प्रधान पाठक अथवा प्राचार्य द्वारा परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि में ग्राम सरपंच/वरिष्ठ नागरिक को आमंत्रित किया जावे।

प्रशिक्षण :

- जिला नोडल अधिकारी के निर्देशन में जिला प्रशिक्षण समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रशिक्षण संबंधी कार्य जिले के आर.ओ.पी./स्वीकृति के अनुसार कराया जावेगा।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से किया जावे।
- खण्ड चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि नोडल शिक्षक तथा सुपरवाइजर महिला एवं बाल विकास का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित करावेंगे।
- प्रशिक्षण उपरांत नियमित अन्तराल पर टीम में किये जाने वाले कार्यों का समीक्ष किया जावेगा।

वित्तीय व्यवस्था :

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त आर.ओ.पी. अनुसार की जाए।

परिवहन व्यवस्था :

प्रत्येक टीम हेतू जिला स्वास्थ्य समिति एन.एच.एम. द्वारा एक चार पहिया वाहन (जीप, सुमो, बोलेरो, प्रकार के) निविदा या कलेक्टर दर (जो भी कम हो) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका मासिक व्यय प्रति वाहन राशि 30 हजार रू. से अधिक न हो।

औषधी एवं सामग्रियों की पूर्ति :

- प्रत्येक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के पास स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जानके के पूर्व आवश्यक उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है :

उपकरण सामग्री की सूची

- Steel Trunk
- Weighing Machine
- Height Measuring Tape
- Mid arm circumference tape
- BP apparatus with age appropriate calf size-2
- Stethosope-2
- Vision Chart
- Torch-2

उपरोक्त सामग्रियों का क्रय खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रय कर टीम को उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु FMR Code B.16.1.6.2 Procurement of Equipemnt में प्रत्येक टीम हेतु आवश्यक राशि 7,900/— रूपये स्वीकृत है। इस हेतु आवश्यक राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पार्ट **"B"** में प्रदाय अव्ययित राशि से उपयोग किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

- प्रत्येक टीम हेतु संलग्न तालिका **"A"** अनुसार आवश्यक मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराया जाना होगा।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के मेडिकल ऑफिसर द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। तद्उपरांत खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक दवाईयां विकासखण्ड दवाई भण्डार से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम को उपलब्ध कराया जावेगा।

मॉनिटरिंग एवं समीक्षा :

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना के अनुसार राज्य स्तर पर त्रैमासिक तथा जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर मासिक समीक्षा की जावेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा।

166

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का निरीक्षण :

- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी माह में एक बार निरीक्षण करेंगे।
- विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी माह में दो बार निरीक्षण करेंगे।
- विकास खण्ड परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास माह में एक बार निरीक्षण करेंगे।
- विकास खण्ड संकुल प्रभारी, शिक्षा विभाग माह में एक बार निरीक्षण करेंगे।

रिपोर्टिंग एवं संदर्भन :

रिपोर्टिंग हेतू निर्धारित प्रपत्र के प्रारूप साथ में संलग्न है। इन्हें RBSK दल तथा संबंधित संस्था (शाला/आंगनवाड़ी) में संधारित किया जाना है। रिपोर्टिंग Online किया जाना है । इस हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करें ।

- ग्राम स्तर पर बच्चों में जन्मजात विकृति एवं बीमारी की पहचान मितानिन अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम. के द्वारा की जावेगी तथा आवश्यकतानुसार निकट के स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों में संदर्भित किये जायेंगे। मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संदर्भित किया जायेंगे।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत आयु समूह के बच्चें जन्मजात विकृति व बीमारी की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा की जावेगी तथा आवश्यकतानुसार निकट के स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों में संदर्भित किये जावेंगे।
- शालेय स्तर पर अध्यनरत आयु समूह के बच्चों जन्मजाति विकृति एवं बीमारी की पहचान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के द्वारा की जावेगी तथ आवश्यकतानुसार निकट के स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों में संदर्भित किये जावेंगे।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के परीक्षण के पूर्व यदि शालेय स्तर पर अध्ययनरत् आयु समूह के बच्चों में जन्मजात विकृति एवं बीमारी की पहचान होने पर नोडल शिक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार निकट के स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों में संदर्भित किये जावेंगे।
- CHC/PHC द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज अथवा जिला स्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्र में संदर्भित किया जावेगा।

रिपोर्टिंग प्रपत्र :

- खण्ड शिक्षा अधिकारी :– सभी स्कूलों से मासिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को समन्वय हेतु प्रेषित करेंगे।
- विकासखण्ड परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मासिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को समन्वय हेतु प्रेषित करेंगे।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दल प्रति सप्ताह दैनिक जॉच प्रतिवेदन खण्ड चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। उक्त रिपोर्ट में नोडल शिक्षक के हस्ताक्षर लिया जाना होगा।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
- रिपोर्ट प्राप्त न होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अवगत करायेंगे।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के रिकार्ड मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शाला स्तर तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दल स्तर रजिस्टर संधारित किया जावेगा।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की MIS में प्रविष्टी सुनिश्चित करना एवं Monitoring नियमित रिपोर्टिंग के आधार पर करें ।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कियान्वयन अथवा रिपोर्टिंग प्रपत्र भरे जाने में कठिनाई हो तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मूल दिशानिर्देश का अवलोकन करें।

स्नेह कार्ड का संधारण :

- कक्षा में अध्ययनरत् बच्चे के पास होने पर संबंधित बच्चे का स्नेह कार्ड अगली कक्षा के शिक्षक के पास जमा किया जावे।
- बच्चे द्वारा स्थानांतरण/स्कूल छोड़ने पर बच्चे को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ स्नेह कार्ड भी दिया जावे।
- स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात जिन बच्चों में असामान्य लक्षण हो तो आवश्यक रूप से उनके माता–पिता/अभिभावक को अवगत कराया जावे।
- इसी प्रकार अन्य विभागों के सहयोग से संबंधित विभाग द्वारा RBSK के दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जा रहें है ।

स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व :

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सचिव, स्कूल शिक्षा के माध्यम से जिलों को दिशानिर्देश जारी किया जायें।
- जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को दिशानिर्देश जारी किया जायें।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का निरीक्षण करेगें।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी को रिर्पोट प्रस्तुत करेगें।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा WIFS कार्यक्रम के नांमाकित नोडल शिक्षक ही RBSK के लिए नोडल शिक्षक हेतु नामांकित करेगें।
- शाला स्तर पर बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पृथक से स्थान निर्धारित करेंगे।
- नोडल शिक्षक, विद्यालयों को देय समय एवं तिथि पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावेंगे।
- विद्यालयों में प्रभारी अध्यापक द्वारा स्वास्थ्य जांच पंजी का संधारण किया जाना। जांच पंजिका/स्वास्थ्य पंजिका भरवायें जाने में सहयोग का दायित्व संस्था प्रधान का होगा।
- प्रधान पाठक अथवा प्राचार्य द्वारा परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि में ग्राम सरपंच/वरिष्ठ नागरिक को आमंत्रित किया जावे।
- कुपोषित गंभीर बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) संदर्भित किये जायेंगे।

अनुसूचितजाति एंव जनजाति कल्याण विभाग :

- अनुसूचितजाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय एवं आश्रमों के बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण का दायित्व होगा।
- RBSK टीम द्वारा दिये गये निर्धारित तिथि में बच्चों का उपस्थिति सुनिश्चित किया जावें।
- RBSK के टीम द्वारा रिफरल हेतु चिन्हित किये गये बच्चों को संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में उपचार हेतु भेजा जावें।
- उपचार उपरांत अनुसरण किया जावें।
- विद्यालय/आश्रम के प्रभारी द्वारा प्रति माह जिला अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

महिला बाल विकास विभाग :

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सचिव, महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से जिलों को दिषानिर्देष जारी किया जायें।
- जिला महिला बाल विकास अधिकारी अपने जिले के विकासखण्ड महिला बाल विकास अधिकारी को दिषानिर्देष जारी किया जायें।
- विकासखण्ड महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का निरीक्षण करेगें।

- विकासखण्ड महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा WIFS कार्यक्रम के नामांकित नोडल प्रभारी ही RBSK के लिए नोडल प्रभारी हेतु नामांकित करेगें।
- विकासखण्ड महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला महिला बाल विकास अधिकारी को रिर्पोट प्रस्तुत करेगें।
- आंगनबाड़ी स्तर पर बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पृथक से स्थान निर्धारित करेंगे।
- नोडल प्रभारी, आंगनबाड़ी को देय समय एवं तिथि पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बालक/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिष्चित करावेंगे।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रभारी अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य जांच पंजी का संधारण किया जाना। जांच पंजिका/स्वास्थ्य पंजिका भरवायें जाने में सहयोग का दायित्व संस्था प्रभारी अधिकारी का होगा।
- कुपोषित गंभीर बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) संदर्भित किये जायेंगे।

प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़

क्रमांक (NS-5-23)/815 दिनांक 07/08/14

<u>प्रतिलिपि :</u>

- निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छ0ग0 शासन को सादर सूचनार्थ ।
- निज सचिव, मान. स्वास्थ्य मंत्री, छ0ग0 शासन को सादर सूचनार्थ ।
- मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
- सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- आयुक्त, आदिम जाति एवं कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
- आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
- संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर
- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर
- संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर
- मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
- मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, छत्तीसगढ़ रायपुर
- संचालक, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर
- संयुक्त संचालक, स्थापना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर, छ.ग.
- राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, छ.ग., रायपुर– **समन्वयक**
- जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति – **अध्यक्ष**
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
- सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – **सचिव**
- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–चिकित्सालय,
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास,
- जिला शिक्षा अधिकारी
- जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़